12/चक0स्था0नि0–1/10 ———— /चक0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(चकबंदी निदेशालय)

बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ( चतुर्थ मंजिल)

बुद्ध मार्ग, पटना–1

प्रेषक,

सी0 अशोकवर्धन, भा0प्र0से0,
निदेशक, चकबंदी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, पटना।

पटना, दिनांक ————

विषय :– **चकबंदी योजना में विभिन्न सम्वर्गों के कर्मियों का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रारूप का समावार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चकबंदी योजना में विभिन्न सम्वर्गों के कर्मियों का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप का नमूना हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 सहित राज्य के सभी प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ उपलब्ध करायी जा रही है।

अनुरोध है कि राज्य के सभी प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में दो दिनों तक लगातार प्रकाशित कराने की कृपा की जाय। साथ ही, इसे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

(सी0 अशोकवर्धन)
निदेशक, चकबंदी,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 884 /चक0, पटना, दिनांक 12.08.2014

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, टेक्नॉलोजी भवन, बेली रोड, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संलग्न हार्ड कॉपी/सी0डी0 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट (www.gov.bih.nic.in) पर डालने की कृपा की जाय।

ह0 12.8.14

(सी0 अशोकवर्धन)
निदेशक, चकबंदी,
बिहार, पटना।

**प्रेस विज्ञप्ति प्रारूप**

**बिहार सरकार**

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना**

**(चकबंदी निदेशालय)**

याचिका संख्या 12/चक0–क्षे0रथा0–नियो0–01/2010

पूर्व में चकबंदी निदेशालय के अन्तर्गत कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर जिलों के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग 3 एवं 4 के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 2095 राजस्व/2010–11 द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में सहायक चकबंदी पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हो गयी है। अतः इस पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति नहीं होनी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सहायक चकबंदी पदाधिकारी को छोड़कर पुनः विज्ञापन कराने का निर्णय लिया गया है। संशोधित रोस्टर के अनुसार विभिन्न पदों की रिक्ति निम्न प्रकार है। रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है :–

| क्र0 | पद का नाम | कुल रिक्ति | सामान्य | अनु0 जाति | अनु0 जनजाति | अत्यंत पि0 वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग की महिला |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | लिपिक | 74 | 37 | 12 | 01 | 13 | 09 | 02 |
| 2 | पेशकार | 06 | 03 | 01 | — | 01 | 01 | — |
| 3 | मोहर्रिर | 31 | 16 | 05 | — | 05 | 04 | 01 |
| 4 | प्रारूपक | 31 | 16 | 05 | — | 05 | 04 | 01 |
| 5 | आशुटंकक | 02 | — | 01 | — | 01 | — | — |
| 6 | अमीन | 372 | 188 | 59 | 04 | 67 | 45 | 11 |
| 7 | अनुसेवक | 229 | 115 | 37 | 02 | 41 | 27 | 07 |

2. जो व्यक्ति पूर्व में आवेदन दे चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। जो इच्छुक व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाये हैं वे पुनः विहित प्रपत्र में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. योग्यता :–

क्रमांक (1) से (3) तक पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष/टंकण/कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक होगा। चकबंदी निदेशालय के छंटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी लिपिक/पेशकार/मोहर्रिर को नियोजन में प्राथमिकता दी जायेगी।

क्रमांक (4) के लिये न्यूनतम मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं सरकारी या मान्यता प्राप्त आई0टी0आई0 संस्थान से प्रारूपक ट्रेड में प्रशिक्षित। चकबंदी निदेशालय के छंटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी प्रारूपक को नियोजन में प्राथमिकता दी जायेगी।

क्रमांक (5) के लिये न्यूनतम मैट्रिक अथवा समकक्ष। हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन/टंकण/कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य होगा। चकबंदी निदेशालय के छंटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी आशुटंककों को नियोजन में प्राथमिकता दी जायेगी।

क्रमांक (6) के लिये न्यूनतम मैट्रिक अथवा समकक्ष। बिहार सरकार के निबंधन विभाग से निबंधित संस्थान से अमानत प्रशिक्षण प्राप्त। (संस्थान का निबंधन विज्ञप्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व का होना आवश्यक है)। चकबंदी निदेशालय के छंटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी/उजरतभोगी अमीन को नियोजन में प्राथमिकता दी जायेगी।

क्रमांक (7) के लिये न्यूनतम आठवीं पास एवं साईकिल चलाने का ज्ञान। चकबंदी निदेशालय के छंटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. आयुसीमा :– दिनांक 01.08.2010 को सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिये 37 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए 42 वर्ष तक। चकबंदी निदेशालय के छंटनीग्रस्त/उजरतभोगी अमीनों के लिए आयु सीमा अधिकतम 64 वर्ष होगी।

5. मानदेय :– सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निम्न रूप से मानदेय प्रतिमाह देय होगा :–

| क्रमांक | पद का नाम | मासिक मानदेय (रूपये) |
|---|---|---|
| 1 | लिपिक, पेशकार, मोहर्रिर, आशुटंकक | 8000/– |
| 2 | प्रारूपक | 6500/– |
| 3 | अमीन | 6500/– |
| 4 | अनुसेवक | 5000/– |

6. संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन एक वर्ष के लिये होगा। नियोजित कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे तथा वे सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा। नियोक्ता एवं संविदा के आधार पर नियोजित किये जानेवाले व्यक्ति के बीच सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2401 दिनांक 18.07.2007 में विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।

7. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु उम्मीदवारों का चयन सरकार द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा तैयार किये गये पैनल के आधार पर किया जायेगा।

8. आवेदकों से उपर्युक्त पदों में एक ही पद के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

9. आवेदक विहित प्रपत्र में सभी अभिप्रमाणित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/सरकार द्वारा अनुमान्य स्तर का जाति प्रमाण पत्र/सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो प्रति के साथ निम्न पते पर निबंधित डाक से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यालय अवधि में प्राप्त किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

9. मुख्य लिफाफे पर आवेदित पद का नाम/आरक्षण कोटि/दैनिक वेतनभोगी/छंटनीग्रस्त/उजरतभोगी पद के नाम का उल्लेख अवश्य करें।

10. आवेदन पत्र के साथ 25 रूपये का डाक टिकट सटा लिफाफा जिसपर पत्राचार का स्पष्ट पता लिखा हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।

11. आवेदन प्रपत्र संबंधी सूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट **(www.gov.bih.nic.in)** तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

11. आवेदन पत्र भेजने का पता :– निदेशक, चकबंदी निदेशालय, भूमि विकास बैंक, चौथी मंजिल, बुद्ध मार्ग, पटना–800001.

ह0/–

निदेशक, चकबंदी

बिहार, पटना।

चकबंदी निदेशालय के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

फोटो
राजपत्रित
पदाधिकारी
द्वारा
अभिप्रमाणित

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पद का नाम | : |
| 2. | अभ्यर्थी का नाम | : |
| 3. | पिता / पति का नाम | : |
| 4. | जन्म तिथि (प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) | : |
| 5. | आयु (दिनांक 01.06.2010 को) | : वर्ष माह दिन |
| 6. | स्थायी पता | : |
| 7. | पत्राचार का पता | : |
| 8. | शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) | : |
| 9. | आरक्षण कोटि – (यदि आरक्षित श्रेणी के हैं तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) | : |
| 10. | दैनिक वेतनभोगी / छंटनीग्रस्त कर्मचारी / उजरतभोगी अमीन के मामले में दैनिक वेतन / उजरत पर नियोजित करने वाले कार्यालय का नाम, पद का नाम, कार्यावधि, (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।) | : |
| 12. | अभ्यर्थी का घोषणा पत्र :– | |

मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त कंडिकाओं में दी गयी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर